

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 154 / 12

संस्थित दि.: 13 / 03 / 12

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

वीरेन्द्र उर्फ छोटू पिता सम्पतलाल टेम्भरे, उम्र 28 साल,
जाति पवार साकिन करूह मोहगांव थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 25 / 09 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 323 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 03.03.2011 को दिन के 02:00 बजे ग्राम करूह आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में फरियादिया कुमारी लता बिसेन जो कि एक स्त्री है, कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका सीना दबाकर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी लता बिसेन ने दिनांक 03.03.2012 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 03.03.2012 को उसके खेत से बैल लेकर घर आ रही थी बैल आरोपी वीरेन्द्र के आंगन में चले गये तो आरोपी वीरेन्द्र ने उसके बाल पकड़कर एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया और बुरी नियत से उसकी छाती दबाने लगा वह चिल्लाई तो पड़ोस का नानो टेम्भरे चिल्लाया तो आरोपी ने उसे छोड़ा फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 26 / 12 अन्तर्गत धारा 323, 354 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 323 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 323 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं फरियादी ने उसे झूठा फंसाया है ।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी ने दिनांक 03.03.2011 को दिन के

02:00 बजे ग्राम करूह आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में फरियादिया कुमारी लता बिसेन जो कि एक स्त्री है, कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका सीना दबाकर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

(2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर

फरियादी लता बिसेन के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1 एवं 2 का एक साथ विचार किया जा रहा है ।

(07) अभियोजन साक्षी लता बिसेन (अ.सा.01) का कहना है कि घटना दिनांक 03.03.2012 को दोपहर के 02:00 बजे ग्राम करूह मोहगांव में आरोपी के आंगन की है । उसके जानवर आरोपी के आंगन में चले गये तो आरोपी उसके घर में से निकला और बाल पकड़ कर थप्पड़ मारकर गिरा दिया और बुरी नियत से उसके साथ बदतमीजी करने लगा और उसका सीना दबाया वह चिल्लाकर रोने लगी तो गली से नानू टेम्भरे ने आरोपी से कहा कि दूसरी की लड़की को क्यों मार रहा है तो आरोपी उसे छोड़ दिया । आरोपी ने उससे बोला कि यदि घटना उसकी मम्मी को बताई तो आगे के बारे में सोच लेना मनोज ने उसे देखा और उसकी मम्मी को घटना के बारे में बताया और उसकी मम्मी आ गई तो उसने उसकी मम्मी को घटना बताई । घटना की रिपोर्ट थाना

मलाजखण्ड में जाकर लेखबद्ध कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है। उसने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था, जो प्रदर्श पी-02 है। पुलिस ने उससे घटना के सम्बन्ध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

(08) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता मनोज मांगरे (अ.सा.04) का कहना है कि दिनांक 03.03.2012 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए फरियादिया लता बिसेन की मौखिक रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 26/12 अन्तर्गत धारा 354, 323 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-01 है। फरियादिया लता बिसेन एवं साक्षी गरिमा बिसेन, नानूलाल, मनोज, जोगीलाल एवं ममताबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। फरियादिया लता बिसेन की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नजरी नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। विवेचना पूर्ण कर केश डायरी थाना प्रभारी को प्रेषित किया था।

(09) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी मनोज (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो वर्ष पुरानी दिन के 12-01 बजे के बीच आरोपी वीरेन्द्र के घर की है। घटना के समय जब वह उसके घर जा रहा था तो फरियादिया लता उर्फ हिना आरोपी के घर के सामने बैठकर रो रही थी। उसने फरियादिया लता की मम्मी को फरियादिया के रोने के बारे में बताया था।

(10) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी ममता (अ.सा.03) का भी कहना है कि मनोज ने बताया कि उसकी लड़की आरोपी के आंगन में बैठकर रो रही है तो वह गई तो उसे उसकी लड़की लता ने बताया कि आरोपी ने उसे मारा और सीने को हाथ लगाया और धमकी दी कि किसी को बताया तो अगली बार देख लेने की धमकी दी थी।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादिया ने आरोपी झूठा फसाया है। फरियादी ने असत्य कथन किये हैं, जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(12) बचाव साक्षी नान्हूलाल (ब.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग ढाई वर्ष पुरानी दिन शनिवार फागुन माह दिन के लगभग 3-4 बजे की है।

उसके लड़के का विवाह था और वह उसके घर से लगी गली से होते हुए वर्तन लेने के लिए जा रहा था। घटना के समय वीरेन्द्र ने उसके आंगन को लीपा था उस आंगन में प्रार्थी लता अपने जानवरों को दौड़ाते हुये ला रही थी इसी बात को लेकर प्रार्थी लता को दो-चार बार डांटा था किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि रोने की आवाज सुनकर घटना के बाद घटनास्थल पर गया था फरियादिया लता रो रही थी।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी लता बिसेन (अ.सा.01) का स्पष्ट कहना है कि घटना दिनांक 03.03.2012 को दोपहर के 02:00 बजे ग्राम करूह मोहगांव में आरोपी के आंगन की है। वह घटना के समय उसके जानवर खेत से लेकर आ रही थी तो उसके जानवर आरोपी के आंगन में चले गये तब आरोपी उसके घर से निकला और उसके बाल पकड़ कर थप्पड़ मारकर उसे गिरा दिया और आरोपी ने बुरी नियत से उसके साथ बदतमीजी करने लगा और उसका सीना दबाया वह रोने लगी तो गली से नानू टेम्भरे ने आरोपी से कहा कि दूसरी की लड़की को क्यों मार रहा है तो आरोपी उसे छोड़ दिया। आरोपी ने उससे बोला कि यदि घटना उसकी मम्मी को बताई तो आगे के बारे में सोच लेना जब वह घटनास्थल पर खड़ी होकर रो रही थी तो मनोज ने उसे देखा और उसकी मम्मी को घटना के बारे में बताया उसकी मम्मी आयी तो उसने घटना के बारे में उसकी मम्मी को भी बताया था। उसने थाना मलाजखण्ड जाकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है। उसने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था, जो प्रदर्श पी-02 है पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(15) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता मनोज मांगरे (अ.सा.04) का भी स्पष्ट कहना है कि दिनांक 03.03.2012 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए प्रार्थी लता बिसेन की मौखिक रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 26/12 अन्तर्गत धारा 354, 323 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-01 है। दिनांक 03.03.2012 को ही प्रार्थी लता बिसेन एवं साक्षी गरिमा बिसेन, नानूलाल, मनोज, जोगीलाल एवं दिनांक 04.03.2012 को ममताबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 04.03.2012 को प्रार्थी लता बिसेन की

निशादेही पर घटनास्थल का मौका नजरी नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। दिनांक 03.03.2012 को आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) अभियोजन साक्षी मनोज (अ.सा.02) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन से दो वर्ष पुरानी दिन के 12-01 बजे के बीच आरोपी वीरेन्द्र के घर की है। घटना के समय जब वह उसके घर जा रहा था तो प्रार्थी लता उर्फ हिना आरोपी के घर के सामने बैठकर रो रही थी। उसने प्रार्थी लता की मम्मी को प्रार्थी के रोने के बारे में बताया था।

(17) फरियादिया के कथनों का भी समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी ममताबाई (अ.सा.03) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी दिन 02:00 बजे आरोपी वीरेन्द्र के आंगन की है। मनोज ने उसे बताया कि उसकी लड़की लता आरोपी की डहेल पर बैठकर रो रही है तो वह गई तो उसकी लड़की ने उसे बताया कि आरोपी वीरेन्द्र ने उसके साथ मारपीट की और बुरी नियत से उसका सीने को हाथ लगाया था और धमकी दी की किसी को बताया तो आगे के लिये सोच लेना। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इस साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) अभियोजन प्रस्तुत साक्षी लता (अ.सा.01), मनोज (अ.सा.02), ममता (अ.सा.03), मनोज मांगरे (अ.सा.04) के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया, जिससे अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद कहा जाये और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे इन साक्षियों के कथनों का अविश्वास किया जाये। बचाव साक्षी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि फरियादिया घटनास्थल पर रो रही थी तब वह उसके घर से रोने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर गया था फरियादिया रो रही थी इससे भी अभियोजन के प्रकरण की आंशिक पुष्टि होती है।

(19) आरोपी के अधिवक्ता के तर्क है कि फरियादिया ने पुलिस से मिलकर

झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया और असत्य कथन किये है, किन्तु आरोपी की ओर से ऐसी

— / / 06 / / —

आप.प्रकरण क्र. 154 / 12

कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे आरोपी को फरियादिया ने झूठी रिपोर्ट कर फंसाया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षियों ने स्पष्ट कथन किये है कि आरोपी ने दिनांक 03.03.2011 को दिन के 02:00 बजे ग्राम करूह आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में फरियादिया कुमारी लता बिसेन जो कि एक स्त्री है, कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका सीना दबाकर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

(20) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू ने दिनांक 03.03.2011 को दिन के 02:00 बजे ग्राम करूह आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में फरियादिया कुमारी लता बिसेन जो कि एक स्त्री है, कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका सीना दबाकर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

(21) परिणाम स्वरूप आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 323 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(22) प्रकरण में आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(23) आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(24) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,

बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

पुनश्च :-

(25) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(26) आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू का यह प्रथम अपराध है। आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू मजदूर पेशा

नवयुवक है यदि उसे कारावास से दण्डित किया जाता है तो उसको तथा उसके

— / / 07 / / —

आप.प्रकरण क्र. 154 / 12

परिवार को काफी कठनाईयों को सामना करना पड़ेगा तथा उसका परिवार भूखे मर जायेगा एवं भविष्य खराब हो जायेगा। अतः आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू को कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।

(27) आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(28) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(29) आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किन्तु आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू को कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में छः माह के साधारण कारावास की सजा एवं 500 / — (पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के आरोप में 500 / — (पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(30) आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(31) निर्णय की एक प्रति आरोपी वीरेन्द्र उर्फ छोटू को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर

मेरे बोलने पर टंकित

खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)